

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर.

क्रमांक:-बीकेजेड/2522:55/ले.आ./2024/रावतसर/

दिनांक:-

अधिकाधिकारी
नगर पालिका,
रावतसर

विषय :-चक 11 एम प.नं. 166/410 कि.नं. 19, 20, 21, 22 की 0.253 है0 (प्रत्येक) कुल तादादी 1.0120 है0 या 10120 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति के संबंध में तकनीकी राय बाबत।

संदर्भ :-आपके कार्यालय का पत्रांक 10084642 दिनांक 29.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा आवेदक श्री विकास पुत्र श्री महावीर साकिन चहुवाली व श्री विनोद पुत्र श्री मदन सिंह साकिन द्वारा चक 11 एम प.नं. 166/410 कि.नं. 19, 20, 21, 22 की 0.253 है0 (प्रत्येक) कुल तादादी 1.0120 है0 या 10120 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति के संबंध में तकनीकी राय बाबत विचाराधीन प्रकरण कार्यालय पत्रांक राजकाज रेफ. 9928888 दिनांक 22.08.2024 के क्रम में पुनः प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग रावतसर मास्टर प्लान 2031 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ प्रावधानित है। प्रश्नगत भूमि को पहुंच मार्ग दक्षिण दिशा में पूर्व स्वीकृत योजना की 30 फीट सड़क से प्राप्त हो रहा है। आवेदित भूमि को संलग्न दस्तावेजों के अनुसार अन्य कोई स्वीकृत पहुंच मार्ग संभव नहीं है। प्रेषित योजना मानचित्र में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्वीकृत आई.डी.एस.एम.टी. योजना बस स्टेण्ड की 60 फीट सड़क अंकित की गई है एवं सड़क के पश्चात् 10 फीट पाथ प्रस्तावित है जबकि पूर्व में भी आपको अवगत करवाया गया है कि स्वीकृत आई.डी.एस.एम.टी. योजना बस स्टेण्ड की 60 फीट सड़क उक्त स्थान पर प्रस्तावित नहीं है। संदर्भित पत्र द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रश्नगत भूमि बहाव क्षेत्र/लो-लाईन एरिया/नदी व नाले से प्रभावित नहीं है। गूगल मानचित्र व टोटल स्टेशन सर्वे अनुसार आवेदित भूमि रिक्त है। योजना मानचित्र, मास्टर प्लान, गूगल इमेजरी, टोटल स्टेशन सर्वे पालिका के कनिष्ठ अभियंता व अधिकाधिकारी द्वारा प्रमाणित है।

प्रकरण में प्रेषित संलग्न योजना मानचित्र में रुपान्तरण योग्य क्षेत्रफल 108900.00 वर्गफीट है, जिसमें आवश्यक संशोधन उपरान्त आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल 58140.00 वर्गफीट (53.39 प्रतिशत), इनफॉर्मल सेक्टर का क्षेत्रफल 2200.00 वर्गफीट (02.02 प्रतिशत), पार्क का क्षेत्रफल 5460.00 वर्गफीट (05.01 प्रतिशत) तथा सड़कों व पाथ का क्षेत्रफल 43100.00 वर्गफीट (39.58 प्रतिशत) प्रस्तावित किया गया है।

प्रस्तुत संलग्न योजना मानचित्र की योजना सीमा "ए" से "डी" के अन्तर्गत कुल भूमि 32668.43 वर्गफीट रुपान्तरण योग्य भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र को अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान समिति के समक्ष निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किये जाने की अभिशंका की जाती है:-

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रश्नगत भूमि को पहुंच मार्ग दक्षिण दिशा में पूर्व स्वीकृत योजना की 30 फीट सड़क से प्राप्त हो रहा है। अतः पहुंच मार्ग एवं सड़कों के अलाइन्मेंट व मार्गाधिकार की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित है।
3. प्रेषित योजना मानचित्र में आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्वीकृत आई.डी.एस.एम.टी. योजना बस स्टेण्ड की 60 फीट सड़क अंकित की गई है एवं सड़क के पश्चात् 10 फीट पाथ प्रस्तावित है जबकि पूर्व में भी आपको अवगत करवाया गया है कि स्वीकृत आई.डी.एस.एम.टी. योजना बस स्टेण्ड की 60 फीट सड़क उक्त स्थान पर प्रस्तावित नहीं है।

सम्पर्क - भूखण्ड सं. 01, गांधीनगर, लालगड, बीकानेर
ई-मेल आईडी - townplanning@bikaner@gmail.com

Digitally signed by Rajesh Matwa
Designation: Senior Town Planner
Date: 2024.08.29 13:39:39 IST
Reason: Approved

वेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

अधिवास प्रमाण-पत्र

नगरपालिका रावतसर द्वारा खातेदार श्री विकास पुत्र श्री महावीर साकिन चाहुवाली व श्री विनोद पुत्र श्री मदन सिंह साकिन इन्द्रप्रस्थ कालोनी, नर्सरी सर्कल जयपुर(राज) राजस्व चक 11 ए एम के प. नं. 166/410(37) के किला संख्या 19 की 0.2530है०, 20 की 0.2530है०, 21 की 0.2530है०, 22 की 0.2530है०, कुल तादादी 1.0120है० भूमि है, जिसको श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक, बिकानेर के आदेश क्रमांक राजकाज रेफ. नं. 1027543 दिनांक 04.09.2024 द्वारा ले आउट प्लान स्वीकृत किया गया तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के अन्तर्गत आदेश प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका रावतसर द्वारा (पत्रांक राजकाज रेफ नं. 404 दिनांक 06.06.2024) जारी किये गये। उक्त कालोनी में आंतरिक विकास के अन्तर्गत कार्यो जैसे विद्युत/डामर सड़क/पाईप लाईन, सिवरेज/पार्क विकास हेतु कालोनाईजर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड सं. 41, 42, 43, 44, 45, 46 कुल भूखण्ड सं. 06 कुल क्षेत्रफल 5400 वर्गफुट पालिका के पास रहन रखे गये है, जिसको बिना पालिका के अनुमति से विकासकर्ता द्वारा किसी भी स्थिती में विक्रय नहीं किया जावेगा, आन्तरिक विकास जैसे जैसे पूर्ण करने की स्थिति में जांच उपरान्त रहन मुक्त किये जाने के पश्चात ही इन भूखण्डों का विक्रय किया जा सकेगा।

अतः उक्त तथ्यों, अंडरटैकिंग के आधार पर निम्न शर्तों के साथ अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आंतरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र का निर्माण आदि स्वयं कालोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कालोनी में प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वयं के खर्चे से प्रकाशित करवाई जावेगी।
- कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक नियमानुसार अवधि में विकास कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में रहन रखे गये भूखण्डों को नगरपालिका विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास पूर्ण करवाया जावेगा।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने की स्थिती में विकासकर्ता को स्वीकृत ले आउट प्लान जारी किया जाता है, विकासकर्ता स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार भूखण्डों को विक्रय कर क्रेताओं को निर्धारित प्रपत्र में प्रोविजनल पट्टा जारी करेंगे, उक्त प्रोविजनल पट्टे के आधार पर पालिका द्वारा क्रेता के नाम नियमन शुल्क जमा करवाकर लीजडीड जारी की जावेगी, बिना प्रोविजनल पट्टे के लीजडीड जारी नहीं की जा सकेगी, जिन क्रेताओं को भूखण्ड विक्रय किये है उनका घोषणा पत्र साथ में संलग्न करना होगा जिसका प्रारूप संलग्न है।

संलग्न :- प्रारूप प्रोविजनल पट्टा।

प्रारूप भूखण्ड बैचान हेतु घोषणा पत्र।

ले आउट प्लान की सत्यप्रति।

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका रावतसर
दिनांक

क्रमांक / न.पा.रा. / कृ.भू. / 2025 /

प्रतिलिपि :-

- खातेदार/कोलोनाईजर्स श्री विकास पुत्र श्री महावीर साकिन चाहुवाली व श्री विनोद पुत्र श्री मदन सिंह साकिन इन्द्रप्रस्थ कालोनी, नर्सरी सर्कल जयपुर(राज)।
- भूमि शाखा नगरपालिका रावतसर को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत तथा शेष भूखण्डों के नियमन करने की कार्यवाही बाबत पालनार्थ प्रेषित है।

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका रावतसर

Signature valid

Digitally signed by Rajnish Choudhary

Designation : Executive Officer

Date: 2025.04.18 12:23:58 IST

Reason: Approved



